रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022024-252379 CG-DL-E-26022024-252379

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2024/फाल्गुन 7, 1945

No. 123] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2024/PHALGUNA 7, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 134(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित कितपय नियमों का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 880(अ), तारीख 6 दिसम्बर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलबध करा दी गई थीं, तीस दिन के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 6 दिसम्बर, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार के लिए कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

1308 GI/2024 (1)

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श के पश्चात्, कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 29 के उप-नियम (2) के परंतुक में, "पांच करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस-65012/01/2023-एसएस-I]

आलोक चन्द्रा. वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

टिप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 212, तारीख 22 जून, 1950 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 650(अ), तारीख 16 जुलाई, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2024

G.S.R. 134(E).—Whereas, a draft containing certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 880(E), dated the 6th December, 2023, as required under sub-section (1) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 6^{th} December, 2023;

And whereas, no objection or suggestion has been received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above, for consideration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2024;
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in rule 29, in sub-rule (2), in the proviso, for the words "rupees five crores", the words "rupees twenty-five crores" shall be substituted.

[F. No. S-65012/01/2023-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 212 dated the 22nd June, 1950 and last amended *vide* notification number G.S.R. 650(E) dated the 16th July, 2018.